

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

New Delhi, the 5th August, 2010.

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "Archery Association of India", New Delhi, as the association, for the purposes of said clause for the assessment years 2010-2011 to 2012-2013.

Notification No. 68/2010

[F.No.176/8/2010-ITA.I]



(Padam Singh)
Under Secretary(ITA.I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त, 2010

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 से
2012-2013 तक के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ ' आर्चरी एसोसिएशन
आफ इंडिया', नई दिल्ली को एक संघ के रूप में विनिर्दिष्ट करती है

अधिसूचना सं. 68 /2010 (फा.सं. 176/8/2010-आई टी ए-।)

पदम सिंह

(पदम सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रैस,

रिंग रोड मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली।